



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/1007

27/01/2025

प्रति,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

विषय: 07 फरवरी 2025 को दोपहर 3.30 बजे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक RODTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने पर Plexconcil का वेबिनार 7 फरवरी, 2025 (शुक्रवार) | 03:30 बजे IST से आगे | वर्चुअल प्लेटफॉर्म: सिस्को वेबएक्स

प्रिय महोदय/महोदया,

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद- (Plexconcil) की ओर से अभिवादन!

जैसा कि सदस्य जानते हैं, भारत सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति, 2023 के अंतर्गत वार्षिक RODTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2024-25 जारी की है। 23 अक्टूबर 2024 से प्रभावी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RODTEP) योजना के तहत लाभ चाहने वाले निर्यातकों को अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, 2025 तक DGFT पोर्टल के माध्यम से अपना ARR जमा करना होगा।

यह आवश्यकता उन निर्यातकों पर लागू होती है, जिनके सभी HS कोड में RODTEP के कुल दावे ₹1 करोड़ से अधिक हैं। ARR दाखिल न करने पर लाभ से वंचित किया जाएगा, देरी से जमा करने पर तीन महीने की छूट अवधि दी जाएगी, जो एक संयोजन शुल्क के अधीन होगी। ARR में वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक करों और शुल्कों का विस्तृत रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए और सभी सहायक दस्तावेजों को पाँच वर्षों तक बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, कुछ मामलों में जोखिम आकलन के आधार पर अतिरिक्त जाँच की जा सकती है। नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि सटीक रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचाने गए किसी भी अतिरिक्त दावे को आगे के दंड से बचने के लिए वापस किया जाना चाहिए।

सलिए, व्यापार के लिए उचित प्रक्रिया को समझना और इसमें शामिल चरणों के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन (LKS) अटॉर्नी के सहयोग से प्लेक्सकॉन्सिल 07.02.2025 को दोपहर 3.30 बजे (वेबएक्स) एक वेबिनार आयोजित कर रहा है। यह वेबिनार सदस्यों को ARR फाइलिंग प्रक्रिया और संबंधित अनुपालन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाएगा, जिसमें वैट, उत्पाद शुल्क, CGST, SGST और इनबाउंड/आउटबाउंड परिवहन पर लागू अन्य प्रासंगिक करों के विवरण शामिल हैं।

बिनार में लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन (LKS) के विशेषज्ञों के साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा, जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँगे

वेबिनार विवरण:

दिनांक: 7 फरवरी, 2025 (शुक्रवार)

समय: दोपहर 3:30 बजे IST

वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म: सिस्को वेबएक्स

आपसे अनुरोध है कि आप अपने इच्छुक सहकर्मियों के साथ इस अत्यंत जानकारीपूर्ण सत्र में शामिल हों, ताकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक RoDTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने के बारे में जान सकें।

पंजीकरण लिंक:

<https://theplastics.webex.com/webink/register/r4c1bb2ee1d78ebe3b0868eb07c89fe65>

(कोई भागीदारी शुल्क नहीं)

किसी भी सहायता या प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करने में संकोच न करें:

श्री अनिरुद्ध पवार

· मोबाइल: +91 93563 26428

· ईमेल: anirudha@plexconcil.org

हम जल्द से जल्द आपकी पुष्टि प्राप्त करने की आशा करते हैं।

सादर,

श्रीबाश दासमोहपात्रा

कार्यकारी निदेशक

DIN: 02587694

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

डायनेस्टी बिजनेस पार्क, बी विंग, ग्राउंड फ्लोर

अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट

मुंबई - 400 059 - भारत

फ़ोन: +91 22 40170000